आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः- एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वी.पं/2017/245 दिनांकः16/04/2018

जिला नोडल विवाह पंजीयन अधिकारी एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
समस्त

विषयः- विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में।
संदर्भः- निदेशालय का पत्रांक 221 दिनांक 10.04.2018 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत लिये जाने वाले शपथ पत्रों के सम्बन्ध में गृह (ग्रुप-13) विभाग के पत्र दिनांक 22.03.2017 द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया था कि "विधि विभाग की राय के अनुसार विवाह पंजीयन में शपथ पत्र पब्लिक नोटेरी से प्रमाणित एवं उन पर नियमानुसार नोटेरी टिकट लगाने अनिवार्य है।

उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.04.2018 द्वारा विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में भिजवाये गये तीनों शपथ पत्रों को नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य है। अतः बिन्दूवार शपथ पत्रों को निम्नानुसार पढ़ा जावेः-

1. विवाह के मृतक पक्ष (वर/वधु) की ओर से माता/पिता अथवा संरक्षक की ओर से दिये जाने वाले शपथ पत्र नोटेरी द्वारा सत्यापित।
2. शपथ पत्र विधवा/विधुर द्वारा पाई पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित
3. विवाह की पुष्टि हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के शपथ पत्र अलग अलग पाई पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित

विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने आवेदन पत्र के साथ विवाह के मृतक पक्ष का मृत्यु प्रमाण पत्र आवयश्यक रूप से लिया जावें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
-ह0-
उप निदेशक (जीवनांक)

क्रमांकः- एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वी.पं/2017/246-248 दिनांकः 16/04/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी एवं कलेक्टर, जिला....................।
2. निजी सचिव, महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग योजना भवन, जयपुर।
3. विवाह पंजीयन अधिकारी एवं रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), नगर निगम, जयुपरा।

-ह0-
उप निदेशक (जीवनांक)